

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर (म0प्र0)



विधा - 1821 - II-1

1—मुस0 गीता देवी उम्र 52 वर्ष , पत्नी स्व0 श्री सूर्यमणि द्विवेदी ससुर स्व0 श्री राजभान द्विवेदी , निवासी बांधी, तह0 रायपुर कर्चु0, जिला रीवा म0प्र0

2— अमित कुमार द्विवेदी पिता स्व0 श्री सूर्यमणि द्विवेदी बाबा स्व0 श्री राजभान द्विवेदी , निवासी बांधी, तह0 रायपुर कर्चु0 , जिला रीवा म0प्र0
—आवेगण/निगरानीकर्ता गण

बनाम

7-6-18 दिनकर प्रसाद द्विवेदी तनय देवदत्त द्विवेदी निवासी ग्राम देवतहा , तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

2— बेबा रामवती पत्नी स्व0 हनुमान प्रसाद निवासी ग्राम देवतहा तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

3— रामलखन तनय स्व0 हनुमान प्रसाद निवासी ग्राम देवतहा , तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

4— राकेश प्रसाद तनय स्व0 हनुमान प्रसाद निवासी ग्राम देवतहा , तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0 —— अनागण/गैरनिग0कर्तागण

अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम देवतहा रा0 नि0 म0 मनिकवार , प0ह0 मनिकवार , तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा के भूमि ख0 क0 —177 रकवा 0.170 हेमें किया गया अवैधानिक नकशा तर्माम निरस्त किये जाने बाबत |

म0प्र0भू—राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन निगरानी

मान्यवर,

(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबूति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक ११८२।।२०।।६, रीवा,

मुस्ताकी/दिनांक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
०४।०१।१९	<p>आवेदक की ओर से श्री भोटीलाल ।।१८।। अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक द्वेवतहा रायपुर के प्रकरण क्रमांक नम्सा ।।८।। तमीनी में पारित आदेश दिनांक ।।</p> <p>के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक २३।०४।।१९ को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	